संख्या-129/2023/।/421080/2023/001-71-2099-626-2021

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 03 नवंबर, 2023

विषय:- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के गोमतीनगर विस्त्रार स्थित नवीन परिसर में प्रथम चरण में निर्माणाधीन परियोजना हेतु जी0एस0टी0 मद में वास्तविकता के आधार पर व्यय की गयी धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2243/डा0रा0म0लो0आ0सं0/2023/सि0-112/3, दिनांक 03.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के गोमतीनगर विस्तार स्थित नवीन परिसर में प्रथम चरण में निर्माणाधीन परियोजना हेतु जी0एस0टी0 मद में वास्तविकता के आधार पर व्यय की गयी धनराशि रू0 1,87,82,678.00 अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि विषयगत परियोजना हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 2,04,50,17,357/- के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक रू0 19427.66357 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अद्यतन 5 प्रतिशत की धनराशि अवशेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में संस्थान के गोमतीनगर विस्तार स्थित नवीन परिसर में प्रथम चरण में निर्माणाधीन परियोजना हेतु जी0एस0टी0 मद में वास्तविकता के आधार पर व्यय की गयी धनराशि अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 1,87,82,678.00 (रुपये एक करोड़ सतासी लाख बयासी हजार छह सौ अठहत्तर मात्र) (अनुदान संख्या-31 से रू0 1,48,38,316.00 एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 39,44,362.00) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 तथा यथासंशोधित शासनादेश दिनांक 19 सितम्बर, 2023 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।
2. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। अन्य कार्य हेतु व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैक खाते आदि में नही रखा जायेगा।श्संस्थान के वित्त नियन्त्रक द्वारा जी0एस0टी0 मद में व्यय की गयी धनराशि से संबंधित चालानों तथा आंकड़ो का पुनः मिलान कर लिया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक भुगतान की गयी धनराशि की सीमा तक ही कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त किया जाये।
5. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहंरित किया जायेगा तथा बिल पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 1,48,38,316 (रुपये एक करोड़ अड़तालीस लाख अड़तीस हजार तीन सौ सोलह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050400 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर , लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 39,44,362 (रुपये उनतालीस लाख चवालीस हजार तीन सौ बासठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037892800 डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव

संख्या-129/2023/।/421080/2023/001-71-2099-626-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0, लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।